न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 5/2018

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।
3. अनूप सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्री करणपुर । --प्रार्थीगण--

बनाम

1. हरवीर कौर पत्नि हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।
2. रविन्द्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्री करणपुर ।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर। --अप्राथीगण

--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 11/9/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 10 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता स. 2/3 के मु.न. 6, 23, 36, 41, 42, की कुल 9.487 हैक्टर नहरी भूमि में से 3.794 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 3 के नाम, प्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम 1.923 हैक्टर भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है व इसी चक के खाता संख्या 64/55 के मु.न. 24, की कुल 1.315 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 नाम, व खाता संख्या 44/53 के मु.न. 6,23 की कुल 3.023 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 10 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 64/55 के मु.न. 24 के किला न. 13/3 में 0.051 हैक्टर, किला न. 18/2 में 0.126 हैक्टर, किला न. 19 ता 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला न. 23/1 में 0.126 हैक्टर, कुल 1.315 हैक्टर नहरी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खाता संख्या 44/53 के मु.न. 6 के किला न. 4/1 में 0.228 हैक्टर, किला न. 5 में 0.063 हैक्टर, किला न. 7 में 0.202 हैक्टर, कुल 0.493 हैक्टर, व मु.न. 23 के किला न. 9,12,13,18,19,21 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, कुल 2.530 हैक्टर कुल 3.023 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 10 एफ एफ के मु.न. 23 में स्थित प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नही है। इसलिए मु.न. 23 में आवागमन में प्रार्थीगण को भारी असुविधा रहती है। रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे कृषि कार्य करने के लिए असमर्थ है। जिससे प्रार्थीगण को मानसिक परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मु.न. 23 को काश्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मु.न. 24 के किला न. 21 तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि मु.न. 23 के किला न. 25 में से होकर अपने मु.न. 23 में पहुचकर काश्त का काम करते है। परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अपनी कृषि भूमि मु.न. 23 व 24 में से प्रार्थीगण को मु.न. 23 में जाने से मना कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपने मु.न. 23 को काश्त करना मुश्किल हो गया है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम पक्का सरकारी खाला चलता है। मु.न. 23 व 24 के पत्थर से एक खाला दक्षिण दिशा की तरफ मुडता है। उक्त भूमि में आने जाने के लिए पुली स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन किया था। परन्तु मु.न. 24 के किला न. 21 में रास्ता स्वीकृत ना होने के कारण पुली स्वीकृत नही की गई। प्रार्थीगण अपने मु.न. 23 को काश्त करने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 से खाता संख्या 44/53 के मु.न. 23 के किला न. 25 के पूर्वी दिशा डोली के साथ-साथ दक्षिण से उतर दिशा की तरफ दो विस्वा रास्ता की मांग करते है तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के खाता संख्या 64/55 के मु.न. 24 के किला न. 21 के दक्षिण-पश्चिम डोली से पश्चिम की तरफ केवल 15 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत करने की मांग करते है। इसके बदले में प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि के साथ चिपती हुई भूमि देने के लिए तैयार है तथा विकल्प में अप्रार्थीगण की भूमि की निर्धारित कीमत भी देने के लिए तैयार है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को आज से 20 रोज पूर्व उक्त रास्ता को मंजूर करवाये जाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण स्पष्ट इन्कार हो गये और कहने लगे कि हम तो उक्त चालू रास्ता में निर्माण आदि व तारबंदी करके रास्ता को बन्द करके रहेंगे। आपको जो करना है कर लो। यदि अप्रार्थी ने उक्त चालू रास्ता को बन्द कर दिया तो मुझ प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा, जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में काश्त करने में असमर्थ हो जायेगें। इसलिये चाहा गया रास्ता मंजूर किया जाना विधिसम्मत है प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर अर्ज है कि चक 10 एफ एफ के खाता संख्या 44/53 के मु.न. 23 के किला न. 25 के पूर्वी दिशा की डोली के साथ-साथ दक्षिण से उतर दिशा की तरफ दो बिस्वा रास्ता की मांग करते है। तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि के खाता संख्या 64/55 के मु.न. 24 के किला न. 21 के दक्षिण-पश्चिम की तरफ केवल 15 फुट चौडा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है। सत्यता यह है कि मु.न. 23 के किला न.25 व 24 के किला न. 21 में कोई रास्ता नहीं है। और ना ही प्रार्थीगण उक्त किलाजात में प्रवेश कर अपने रकबा को काश्त करने के लिए जाते है। प्रार्थीगण अपने मु.न. 23 को काश्त करने के लिए आबादी से निकल मु. न. 33 व मु.न. 34 के किला न. 21 ता 25 में चल रहे सरकारी रास्ता से होकर मु. न. 34 के लिा न. 1,10,11,20,21 में चल रहे घरेलू रास्ता से होते हुए मु.न. 22 के किला न. 21 ता 25 में चल रहे घरेलू रास्ता से आकर मु.न. 23 में प्रवेश कर अपनी भूमि को काश्त करते है। इसके अलावा आबादी के मुरब्बा की कुंट मु.न. 23 के किला न. 25 की कुंट के साथ चिपती है नजरी नक्शा मुताबिक आबादी के कुंट व मु.न. 23 के किला न. 25 की कुंट पर तिरछी पूली का खाले पर निर्माण कर मु.न. 23 के किला न. 25 में प्रवेश किया जा सकता है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के पश्चात भी गलत तथ्यों के आधार पर रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त

(रीटा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

किये जाने योग्य है। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलीभगत करके पेश किया गया है। और प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र रास्ता बाबत पेश करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने मु.न. 23 के किला न. 25 में डिग्गी का निर्माण किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा डिग्गी के निर्मागण का सामान भी आबादी भूमि से निकल रहे सरकारी रास्ता मु.न.से निकल रहे सरकारी रास्ता मु.न.33 व 34 के किला न. 21 ता 25 व मु.न. 34 के किला न. 1, 10, 11, 20, 21 व मु.न. 22 के किला न. 21 ता 25 में चल रहे घरेलू रास्ता से होकर मु.न. 23 के किला न. 25 में लाया गया है। इससे भी साबित है कि प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए, काश्त करने के लिए रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए चक 10 एफ एफ के खाता संख्या 44/53 के मु.न. 23 के किला न. 25 के पूर्वी दिशा की डोली के साथ-साथ दक्षिण से उतर दिशा की तरफ दो बिस्वा रास्ता मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 को कोई एतराज नही होगा।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 10 एफ एफ के मु.न. 23 की काश्त हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मु.न. 24 की किला न. 21 का, अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि मु.न. 23 के किला न. 25 में से 2-2 बिस्वा रास्ता की मांग की गई है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 सहमत है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया है रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उपर्युक्त रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है, और यह जोत के लिए सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। प्रार्थीगण के अप्रार्थीगण की खातेदार की जोत में से होकर पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 10 एफ एफ के अप्रार्थी संख्या 2 रविन्द्र सिंह की कृषि भूमि मु.न. 23 के किला न. 25 की पूर्वी दिशा की डोली के साथ-साथ दक्षिण से उतर दिशा की तरफ 2 बिस्वा रास्ता तथा अप्रार्थी संख्या 1 श्री मती हरवीर कौर की कृषि भूमि चक 10 एफ एफ के मु.न. 24 के किला न. 21 के दक्षिणी-पश्चिमी डोली से पश्चिम की तरफ 2 बिस्वा गैरमुमकिन सरकारी रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ता की 4 बिस्वा भूमि के बदले अप्रार्थीगण को 4 बिस्वा भूमि देय होगी जो प्रार्थीगण अपनी भूमि में से अप्रार्थीगण के साथ चिपती भूमि में से देगी। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। आदेश इस आश्य का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{रीना आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते